

149111 - ऐसे धन से हज्ज करना जो मूल रूप से व्याज पर आधारित ऋण है

प्रश्न

एक अवधि पहले मैंने एक कार खरीदने के मकसद से रिबा – सूद - पर आधारित बैंक से एक कर्ज लिया था। लेकिन अब मैं इस व्याज पर आधारित काम पर लज्जित हूँ, और मैंने तौबा कर लिया है। अल्लाह सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अब मैंने उस कार को बेच दिया है। और इस साल हज्ज करने के लिए जाने का इरादा किया है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मेरे लिए उसकी कीमत से हज्ज करना जायज़ है? जबकि ज्ञात रहे कि मैं अभी भी अपने मासिक वेतन से बैंक के व्याज पर आधारित कर्ज की किस्तों का भुगतान कर रहा हूँ - इस तरह कि कर्ज की किस्तों को मासिक वेतन से मेरे पास पहुँचने से कई दिनों पहले काट लिया जाता है - और मेरे पास उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करें, अल्लाह आपको अच्छा बदला दे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

रिबा – सूद - का कारोबार करना जायज़ नहीं है, चाहे वह कर्ज लेना हो या कर्ज देना। और जो व्यक्ति इसमें फँसा हुआ है उसे चाहिए कि गुनाहों से उपेक्षा करते हुए, उस पर पश्चाताप करते हुए, और पुनः उसकी ओर न लौटने का संकल्प करते हुए, अल्लाह के समक्ष तौबा करे।

सूद पर आधारित कर्ज - अपनी निषिद्धता और कुरूपता के बावजूद - सही कथन के अनुसार स्वामित्व का लाभ देता है। इस तरह कर्ज लिया हुआ धन आपकी मिल्कियत है, उससे आप जिस अनुमेय चीज़ में लाभ उठाना चाहें लाभ उठा सकते हैं जैसे कि गाड़ी वगैरह खरीदना।

तथा देखें : किताब "अल-मनफअतो फिल-कर्ज" लि-अब्दिल्लाह बिन मुहम्मद अल-इमरानी, पृष्ठ 245-254.

इस आधार पर, आपके पास जो पैसा है उससे आपके लिए हज्ज करना जायज़ है, सूद से तौबा करने के साथ जैसाकि आपने उल्लेख किया है, और किस्तों का मौजूद होना और आपका उसका निरंतर भुगतान करना आपको नुकसान नहीं पहुंचायेगा।

तथा कर्ज के होते हुए हज्ज करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, अगर कर्ज एक विलंबित समय के लिए, या किस्तों पर है, और आप उसके समय पर उसे चुकाने पर सक्षम हैं, तथा प्रश्न संख्या (3974) और (4241) देखें।



हम अल्लाह तआला से अपने और आपके लिए तौफीक और शुद्धता का प्रश्न करते हैं।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।